न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प बयाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 31/2021 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/121

उनवान

रतीराम पुत्र बुद्धू जाति गूजर निवासी पीपर्रा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार तहसील बयाना।

.....रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 01.02.2021 प्रकरण संख्या 35/2007 उनवान रतीराम बनाम सरकार, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना।

उपस्थित :–

1. श्री धनीराम पोपवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2. पैरोकार सरकार उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–14.10.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 01.02.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.45, 1060 रकबा 0.03, 1061 रकबा 0.50 किता 03 रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम पीपर्रा तहसील बयाना में स्थित है। वादी/अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की भूमी है जो उन्हें अपने पूर्वजो से जरिये विरासत प्राप्त हुयी है। क्योंकि विवादित आराजी वादी/अपीलाण्ट के पूर्वज की खुद काश्त व खेवट की आराजी रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के दिन से पूर्व ही वादी अपीलाण्ट व उसके पूर्वजो का कब्जा काश्त रहा है। अतः वादी/अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी पर स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी को चारागाह दर्ज कर रखा है जो मुताबिक कानून व मौके के खिलाफ है। विवादित आराजी कभी भी किसी रूप में चारागाह नहीं रही है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.02.2021 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये, बहस ने तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एव विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय वादी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर ना करते हुये मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिस पर अपीलाण्ट का अपने पूर्वजो के समय से ही कब्जा काश्त रहा है। विवादित आराजी कभी भी चारागाह अथवा करटोडियन भूमि नही रही है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट को वादग्रस्त आराजी का अतिक्रमी मानते हुये एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये, सरसरी तौर पर अपीलाण्ट का दावा खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विवादित आराजी चारागाह करटोडियन दर्ज अभिलेख है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यो की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित तीन तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. तनकी संख्या 01 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी अपीलाण्ट पर था। वादी अपीलाण्ट ने इस तनकी को साबित करने हेतु ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। जिससे विवादित आराजी पर उनका कब्जा काश्त साबित होता हो अथवा विवादित आराजी कभी भी उनके अथवा उनके पूर्वजो के नाम बतौर खुदकाश्त अथवा खेवट दर्ज अभिलेख रही हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2059–62 अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1059, 1060, 1061 वाके ग्राम पीपरी तहसील बयाना, राजकीय अभिलेख में चारागाह करटोडियन दर्ज रिकार्ड है जो सार्वजनिक उपयोग की है एवं किसी एक व्यक्ति के हितार्थ सार्वजनिक सुविधा को बंधक नही बनाया जा सकता है। सार्वजनिक उपयोग की सभी भूमि, जिनमें चारागाह प्रमुखतः शामिल है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानो के अन्तर्गत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकारो का सृजन वर्जित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकी विरूद्ध अपीलाण्ट तय की है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं।

7. तनकी संख्या 02– जैसा कि तनकी संख्या 01 की विवेचना में, वादी/अपीलाण्ट के विवादित आराजी पर कोई स्वत्व अधिकार नहीं पाये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने यह तनकी भी उचित रूप से वादी अपीलाण्ट के विरूद्ध तय की है।

8. **अनुतोष** – समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। वादी अपीलाण्ट अपने जिम्मे की किसी भी तनकी को सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही वादी अपीलाण्ट का दावा सिद्ध नहीं होने एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में चारागाह करटोडियन दर्ज होने एवं उस पर अपीलाण्ट का अवैधानिक कब्जा होना माना

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

जाकर दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किया गया है। जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

9. हम यह भी पाते हैं कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में चारागाह करटोडियन अंकित है जिस पर अपीलाण्ट/वादी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण है। अतः तहसीलदार बयाना को अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करनी चाहिए, पश्चात्वर्ती अतिक्रमण एवं विवादित भूमि की किस्म चारागाह करटोडियन होने के कारण भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही हेतु भी परीक्षण वांछनीय हैं। निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु तहसीलदार बयाना को दी जावें।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2021 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14-10-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प बयाना